144

# न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : श्री एम. के. सिंह,

सदस्य

प्रकरण कमांक–निगरानी 158–दो/2013, बिरूद्व आदेश दिनांक 22/09/2006, द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़, प्रकरण कमांक 04/अपील/2005–06

---

1– खूबसिंग तनय सुम्मेरसिंह ठाकुर,

2– करनसिंह तनय सुम्मेरसिंह ठाकुर ,

3– रतन सिंह तनय सुम्मेरसिंह ठाकुर ,

निवासी–ग्राम चंदेरी, तहसील वल्देवगढ़,

जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

1– हीरासिंह तनय शंकरसिंह ठाकुर ,

2– गजराजसिंह तनय शंकरसिंह ठाकुर ,

निवासी–ग्राम चंदेरी, तहसील वल्देवगढ़,

जिला टीकमगढ़

.....अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र पटैरिया अधिवक्ता , आवेदकगण

श्री रईस अली अधिवक्ता, अनावेदकगण

:: आदेश ::

( पारित दिनांक– 7/02/2017 )

1– आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केबल संहिता कहा जाबेगा ) की धारा 50 के तहत अनुविभागीय अधिकारी वल्देबगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 04/अपील/2005–06 में पारित आदेष दिनांक 22/09/2006 से ब्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया, कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व की है, जिसके संबंध में अनावेदक हीरासींग ने एक आवेदनपत्र अधिनस्थ बिचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे उनके द्वारा आदेष दिनांक 29/12/2005 के द्वारा इस आधार पर समाप्त किया था कि, इसी भूमि से संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष बिचाराधीन रहा है, जिस कारण ऐसे प्रकरण का निराकरण संबंधित सिविल न्यायालय से ही कराया जाना उचित होगा तथा प्रकरण खारिज कर दिया था। जिससे परिवेदित होकर एक अपील अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वल्देबगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसमें उनके द्वारा दिनांक 22/09/2006 को आदेश पारित करके बिचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 29/12/2005 निरस्त करके प्रकरण पुनः बिचारण न्यायालय को वादभूमि का बंटवारा करने वावद प्रत्यावर्तित किया था। जिसमें बिचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का यह आधार लिया था कि, ब्यवहार न्यायालय का प्रकरण बंटवारा से संबंधित था तथा बिचारण न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार का प्रकरण अभिलेख से सुधार से संबंधित था। आवेदक के बिद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्कों एवं अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के आधार पर दोंनों अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिसमें यह स्थित स्पष्ट होती है कि, अनावेदक कमांक एक हीरा सिंह द्वारा एक ब्यवहार वाद कमांक 19ए/98 सी0जे0एस0–1 टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उसके

द्वारा प्रकरण की वादभूमि में उसे तथा उसके संयुक्त परिवार के सदस्यों को 1/2 भाग का भूमिस्वामी घोषित करने का अनुतोष मांगा था। उपरोक्त व्यवहार वाद दिनांक 23/09/1998 को अदम पैरवी में निरस्त हुआ था। जिसे पुनः नंबर पर कायम करने की कोई भी कार्यवाही वादीगण द्वारा नहीं की गई है। उपरोक्त व्यवहार वाद निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांक 23/09/1998 अंतिम हो चुका है। उपरोक्त व्यवहार वाद सिविल न्यायायल से निरस्त होने से विधि अनुसार यह माना जाबेगा के अनावेदक कमांक एक का दावा निरस्त किया जा चुका है। सिविल न्यायालय का निर्णय या आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज करके बिचारण न्यायालय का जो आदेश निरस्त करके प्रकरण पुनः बंटवारे वावद प्रत्यावर्तित किया है, वह विधि विरूद्व एवं सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/09/1998 के विपरीत होने से उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बिचारण न्यायालय का आदेश विधि अनुसार है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रष्नाधीम आदेश दिनांक 22/09/2006 निरस्त करके तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/12/2005 वहाल किया जाता है, उभयपक्ष सूचित हों। राजस्व मंडल की यह निगरानी परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

( एम.के.सिंह )
सदस्य
राजस्व मंडल मध्य प्रदेश,
ग्वालियर